-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 28.02.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना अतर्रा पुलिस द्वारा बिना पहचान पत्र व सत्यापन के कमरा देने वाले होटल संचालक को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.02.2026 को थाना अतर्रा पुलिस द्वारा बिना पहचान पत्र व सत्यापन के होटल में कमरा देने वाले होटल संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना अतर्रा क्षेत्रान्तर्गत कुछ दिन पूर्व एक नाबालिग बालिका के साथ गलत काम किये जाने की सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें थाना अतर्रा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। जांच के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आये थे कि होटल संचालक द्वारा अतिथि पंजीकरण एवं पहचान सत्यापन से संबंधित नियमों का उल्लंघन करना पाया गया। जिसे गंभीरता से लेते हुए होटल संचालक को गिरफ्तार कर सम्बन्धित मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राकेश पुत्र हिरालाल निवासी बरहेण्डा थाना अतर्रा जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री चन्द्रजीत सिंह
2. इन्द्रदेव तिवारी